प्रेस नोट दिनांक 07.09.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी गिरफ्तारी अधिपत्र के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बाघराय पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बाघराय पुलिस द्वारा न्यायालय से प्राप्त गिरफ्तारी अधिपत्र के अनुपालन में वारण्टी अभियुक्त की तलाश के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर भीमराज सिंह उर्फ भीम सिंह पुत्र शीतला बक्स सिंह, उम्र करीब 65 वर्ष, निवासी ग्राम लखनपुर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज को कस्बा बाघराय स्थित चाय की दुकान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 474/1996, धारा 379 भादवि से संबंधित मा0 न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किया गया था। अभियुक्त को न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी अधिपत्र से अवगत कराते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-
भीमराज सिंह उर्फ भीम सिंह पुत्र शीतला बक्स सिंह, उम्र करीब 65 वर्ष, निवासी ग्राम लखनपुर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 जय सुशील मिश्रा, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसपुर देवसरा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 357/2025, धारा 419, 420, 467, 468, 506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गैर जनपद लखनऊ से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी राकेश कुमार पुत्र फूलचन्द्र की तहरीर के आधार पर थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ पर मु0अ0सं0 357/2025, धारा 419, 420, 467, 468, 406 एवं 506 भादंसं में अभियुक्तगण 1. जितेन्द्र प्रताप सिंह, 2. रणविजय सिंह एवं 3. मंजेश कुमार के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। वादी द्वारा आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तगण ने FCI फतेहपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर 4,90,000 रुपये प्राप्त कर धोखाधड़ी की तथा कूटरचित ज्वाइनिंग लेटर उपलब्ध कराया। रुपये वापस मांगने पर अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।

वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु तलाश के दौरान मुखबिर खास की सूचना एवं सर्विलांस सेल के सहयोग से अभियुक्त मंजेश कुमार पुत्र रामबली, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी ग्राम बनहरा, थाना खुटहन, जनपद जौनपुर के सरस्वतीपुरम, लखनऊ में मौजूद होने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर द रिलैक्स इन होटल/लॉज, सरस्वतीपुरम, लखनऊ के रिसेप्शन के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1-मंजेश कुमार पुत्र रामबली, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी ग्राम बनहरा, थाना खुटहन, जनपद जौनपुर।

बरामदगी-
01 अदद HMD की-पैड मोबाइल फोन, रंग काला एवं 01 अदद POCO स्मार्टफोन, रंग स्लेटी।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 हरीन्दनारायण राय मय हमराह उ0नि0 सचिन कुमार, का0 शिवम सिंह, का0 आशीष मौर्या एवं म0का0 दिव्या उपाध्याय थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

थाना अन्तू पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के अभियोग में माननीय न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अन्तू पुलिस द्वारा धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह का0 लोकेन्द्र सिंह, का0 लाखन सिंह एवं म0का0 प्रीति यादव द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम तिवारीपुर रामगर के पास से वारण्टी अभियुक्त त्रिलोकीनाथ तिवारी उर्फ झब्बर तिवारी पुत्र राममिलन तिवारी, उम्र करीब 52 वर्ष, निवासी ग्राम तिवारीपुर रामगर, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के संबंध में अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-
1-त्रिलोकीनाथ तिवारी उर्फ झब्बर तिवारी पुत्र राममिलन तिवारी, उम्र करीब 52 वर्ष, निवासी ग्राम तिवारीपुर रामगर, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह का0 लोकेन्द्र सिंह, का0 लाखन सिंह एवं म0का0 प्रीति यादव थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

थाना अन्तू पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अन्तू पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना अन्तू पुलिस द्वारा न्यायालय से प्राप्त गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में वारण्टी अभियुक्त की तलाश के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर कुलदीप दुबे पुत्र विजय बहादुर दुबे, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम चौखड़ पूरे अन्ती, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ को चौखड़ पूरे अन्ती के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वारंट धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, राज्य बनाम कुलदीप दुबे पुत्र विजय बहादुर दुबे से संबंधित मा0 न्यायालय एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया था। अभियुक्त को न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट से अवगत कराते हुए नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-
1-कुलदीप दुबे पुत्र विजय बहादुर दुबे, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम चौखड़ पूरे अन्ती, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह का0 लोकेन्द्र सिंह, का0 लाखन सिंह एवं म0का0 प्रीति यादव, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़ , जनपद प्रतापगढ़

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से जारी वारण्ट (NBW) से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना संग्रामगढ़ के उ0नि0 दिनेश चन्द्र तिवारी मय हमराह हे का0 विजय राम व रि0का0 आलोक कुमार द्वारा मा0 न्यायालय स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट प्रतापगढ द्वारा जारी रिकवरी वारण्ट, मु0न0 2022/25 मु0अ0सं0 62/1995 धारा 323/504/506 भादवि 3 (1) 10 एससी/एसटी एक्ट में जारी NBW के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्त, 01. छोटे उर्फ बृजेश चन्द्र उपाध्याय पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी भवदासपुर थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 58 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस टीम
उ0नि0 दिनेश चन्द्र तिवारी मय हमराह हे का0 विजय राम व रि0का0 आलोक कुमार , थाना संग्रामगढ़ , जनपद प्रतापगढ़।